पत्रांक–9A / विविध मार्गदर्शन 07–10 / 2024– 1128 (9A) / रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

आजीव वत्सराज,
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी अंचल अधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 01/04/2026

विषय :– **अंचल अधिकारी के राजस्व न्यायालयों में दैनिक Cause List (कार्य सूची) का अनिवार्य प्रकाशन एवं प्रदर्शन दिनांक–01.04.2026 से करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा "Civil Court Rules of the High Court of Judicature at Patna" 1957 के नियम–3 के अन्तर्गत H.C. Letter No-11392, दिनांक–15th November, 1957**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व न्यायालय के कार्य व्यवस्था के संबंध में जन–मानस से माननीय मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा के प्रपत्र–3 एवं माननीय उप मुख्यमंत्री के जन कल्याण संवाद में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अंचल अधिकारी के राजस्व न्यायालयों में व्यापक अराजकता है जिससे जनता परेशान होती है। सात निश्चय के सातवें स्तम्भ में "Ease of Living" एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सरकार ने दिनांक–16.12.2025 से निर्धारित किया है।

2. अंचल अधिकारी के द्वारा संचालित राजस्व न्यायालयों के संबंध में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि बिना सूचना के वादों को स्थगित करना, कौन–कौन वाद किस तिथि में न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी, उसकी सूचना के अभाव में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित Civil Court Rules, 1957 के नियम–3 में Daily Cause List का प्रकाशन अनिवार्य है। चूँकि Revenue Court निश्चित रूप में कई अधिनियमों में दीवानी अदालत के रूप में परिभाषित है अतः उपर्युक्त नियम उनपर भी स्वतः लागू होते हैं।

4. अतः उपर्युक्त के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी 537 अंचल अधिकारी अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर Daily Cause List का प्रकाशन करेंगें।

(ii) यह Cause List हिन्दी देवनागरी लिपि में होगा।

(iii) Cause List का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट www.biharbhumi.bihar.gov.in पर भी होगा।

(iv) Cause List में Civil Court के अनुरूप विस्तृत विवरणी होगी।

(v) Cause List पूर्व की भाँति SMS से भी भेजा जायेगा।

(vi) Cause List में (क) वाद संख्या (ख) पक्षकारों का नाम (ग) वाद का प्रकार (Mutation/encroachment etc.) (घ) क्रम संख्या (Serial order of Hearing) (ड.) निर्धारित कार्यवाही की सूचना अनिवार्य रूप से देय होगी।

(vii) Cause List का प्रकाशन वाद की सुनवाई के पूर्व दिवस के अधिकतम अपराह्न 8:00 बजे तक होगा।

(viii) प्रकाशन के पश्चात् कोई बदलाव समाहर्त्ता के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा। तब संशोधित Cause List प्रकाशित की जा सकेगी।

5. उपर्युक्त प्रणाली को सुचारू रूप से क्रियान्यवन करने का दायित्व समाहर्त्ता का होगा। परन्तु, यह कि अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता भी समीक्षा एवं अनुश्रवण करेंगे।

6. किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा उक्त में शिथिलता बरतने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

7. यह प्रणाली 01.04.2026 से लागू होगी।

विश्वासभाजन

1/4/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध मार्गदर्शन 07–10/2024–1128(9A)/रा0./रा0, पटना–15, दिनांक 01/04/26

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/4/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध मार्गदर्शन 07–10/2024–1128(9A)/रा0./रा0, पटना–15, दिनांक 01/04/26

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार–सह–मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

1/4/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।